I

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं0नि0 30–19/2024 1105

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना, दिनांक– 7.3.2024

विषयः– ग्राम पंचायत उप मुखिया एवं उप सरपंच के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 509 दिनांक 01.02.2024, पत्रांक 923 दिनांक 16.02.2024 एवं पत्रांक 922 दिनांक 16.02. 2024, पत्रांक 631 दिनांक 03.02.2024 एवं पत्रांक 508 दिनांक 01.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को प्रखंड खुसरूपुर के ग्राम पंचायत चौड़ा के उप मुखिया, प्रखंड मनेर ग्राम पंचायत खासपुर के उप मुखिया, प्रखंड मसौढ़ी ग्राम पंचायत चपौर के उप मुखिया एवं प्रखंड बिहटा ग्राम पंचायत परेव के उप मुखिय के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने तथा प्रखंड बाढ़ ग्राम पंचायत भटगाँव के उप सरपंच की मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन **निम्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया एवं उप सरपंच का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :–**

प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
खुसरूपुर	चौड़ा	उप मुखिया	21.03.2024
मनेर	खासपुर	उप मुखिया	21.03.2024
मसौढ़ी	चपौर	उप मुखिया	21.03.2024
बिहटा	परेव	उप मुखिया	21.03.2024
बाढ़	भटगाँव	उप सरपंच	21.03.2024

3. कृपया उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक **13.03.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया एवं उप सरपंच को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **11.03. 2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, पटना को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. **कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।**

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–19/2024– 1105 पटना, दिनांक – 7.3.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

7.3.24

II

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या—पं0नि0 30—19/2024
प्रेषक,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
सेवा में,
जिला पदाधिकारी—सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना, दिनांक— 7.3.2024

विषयः— प्रखंड दुल्हिन बाजार के प्रमुख एवं उप प्रमुख, प्रखंड फतुहाँ के प्रमुख, प्रखंड दनियावाँ के प्रमुख बखितयारपुर के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः— आपका पत्रांक 1027 दिनांक 22.02.2024, पत्रांक 1049 दिनांक 23.02.2024, पत्रांक 1048 दिनांक 23.02.2024 एवं पत्रांक 1080 दिनांक 27.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आयोग को **प्रखंड दुल्हिन बाजार के प्रमुख एवं उप प्रमुख, प्रखंड फतुहाँ के प्रमुख, प्रखंड दनियावाँ के प्रमुख बखितयारपुर के प्रमुख** के पद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा—निर्देशों के अधीन प्रखंड **निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :—**

प्रखंड का नाम	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
दुल्हिन बाजार	प्रमुख एवं उप प्रमुख	21.03.2024
फतुहाँ	प्रमुख	21.03.2024
दनियावाँ	प्रमुख	21.03.2024
बख्तियारपुर	प्रमुख	21.03.2024

3. कृपया प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु दिनांक **13.03.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **11.03.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, पटना को भी दी जा रही है।

5. प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30—19/2024— 1105   पटना, दिनांक — 7.3.2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com

III

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–पं0नि0 30–19/2024– **1101**

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना, दिनांक– 07.03.2024

विषयः– **जिला परिषद, पटना के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।**
प्रसंगः– **आपका पत्रांक 1029 दिनांक 22.02.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका के प्रासंगिक **पत्रांक 1029 दिनांक 22.02.2024** द्वारा जिला परिषद पटना उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों एवं **गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010** के अधीन **जिला परिषद पटना के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 21.03.2024 को निर्वाचन कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत कर दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उक्त जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से **निर्वाचित सभी सदस्यों को सूचना दिनांक 13.03.2024 तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उपाध्यक्ष को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दिया जाएगा।**

4. अध्यक्ष के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। वीडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

3. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–19/2024–**1101**

पटना, दिनांक – 07.03.2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

7.3.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com

IV

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं0नि0 30–19/2024– **1100**

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।

पटना, दिनांक– 07.03.2024

विषयः– जिला परिषद, पटना के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला परिषद, पटना के के रिक्त पद पर **दिनांक 21.03.2024 को निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इस पद पर निर्वाचन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। आयोग के पत्रांक 1101 दिनांक 07.03.2024 से इसकी सूचना सभी संबंधित को दे दी गयी है एवं इसकी प्रति आपको भी दी गयी है।**

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु **आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्राधीन (किन्तु पटना जिला से भिन्न) पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता या उससे उच्च स्तर के किसी पदाधिकारी को संबंधित पद पर निर्वाचन हेतु प्रेक्षक के रूप में कृपया प्रतिनियुक्त किया जाय।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाईल नम्बर एवं अन्य सूचना विहित प्रपत्र में आयोग को **दिनांक 11.03.2024** के पूर्व आयोग एवं जिला को कृपया उपलब्ध करा दिया जाय। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक की प्रतिवेदन) में उसी दिन संध्या तक निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। **प्रेक्षक आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 एवं गजट संख्या 638 तथा 639 दिनांक 31.08.2010 का अध्ययन अवश्य कर लेंगे ताकि निर्वाचन में किसी तरह की प्रक्रियात्मक भूल नहीं रह जाए।**

3. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–19/2024– **1100**

पटना, दिनांक – 07.03.2024

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

7.3.24